Registered Post/Email

From

Director General Higher Education, Haryana
Shiksha Sadan, Sector-5, Panchkula.

To

The Principals of all the Government Colleges in Haryana State

Memo No. 21/63-2024 ME (5)
Dated, Panchkula the :

Subject: **Regarding amendment in Haryana Educational College Cadre (Group-C) Service rules, 1986.**

****

Kindly refer to the subject cited above.

Please find enclosed herewith a copy of Gazzette Notification dated 12.12.2025 vide which amendement regarding qualification of Group C posts has been made in compliance of Haryana Government Instructions No. 62/30/2006-6GSI dated 24.08.2009 and No. 22/174/2022-3HR-III dated 21.04.2023, for your information and necessary action, please.

Enclosed : As above.

-SD-
Superintedent ME
for Director General Higher Education
Haryana Panchkula

Endst No. 21/63-2024 ME (5) dated , Panchkula the 05-01-2026

A copy of above is forwarded to the following for information, please:-

1. PS to W/ACSHE.
2. PS to W/DGHE.
3. PA to W/JDA.
4. In-charge IT Cell to upload on the portal of Higher Education Department.
5. Superintendent HRMS and Library Branch.

Superintendant ME
for Director General Higher Education
Haryana, Panchkula

भाग-III

हरियाणा सरकार

उच्चतर शिक्षा विभाग

अधिसूचना

दिनांक 12 दिसम्बर, 2025

संख्या सा०का०नि० 16/संवि०/अनु० 309/2025.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा शिक्षा महाविद्यालय संवर्ग (वर्ग ग) सेवा नियम, 1986 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. ये नियम हरियाणा शिक्षा महाविद्यालय संवर्ग (वर्ग ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2025 कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा शिक्षा महाविद्यालय संवर्ग (वर्ग ग) सेवा नियम, 1986 में, परिशिष्ट ख में,–

I. क्रम संख्या 5 के सामने, खाना 3 के नीचे, मद (i) में, ''मैट्रिक स्तर'' शब्दों के स्थान पर, ''10+2 या इसके समकक्ष'' अंक, चिह्न तथा शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

II. क्रम संख्या 6 के सामने, खाना 3 के नीचे, मद (i) में, ''मैट्रिक'' शब्द के स्थान पर, ''10+2 या इसके समकक्ष'' अंक, चिह्न तथा शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

III. क्रम संख्या 10 के सामने, खाना 3 के नीचे, मद (i) में, ''मैट्रिक अथवा इसके समान'' शब्दों के स्थान पर, ''10+2 या इसके समकक्ष'' अंक, चिह्न तथा शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

IV. क्रम संख्या 11 के सामने, खाना 3 के नीचे, मद (i) में, ''विज्ञान के साथ मैट्रिक'' शब्दों के स्थान पर, ''विज्ञान सहित 10+2 या इसके समकक्ष'' शब्द, अंक तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

V. क्रम संख्या 12 के सामने, खाना 3 के नीचे, प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मदें प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

"(i). 10+2 या इसके समकक्ष;

(ii). टैनिस का अच्छा खिलाड़ी हो; तथा

(iii). मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत अथवा उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी।";

VI. क्रम संख्या 13 के सामने, खाना 3 तथा 4 के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

	3	4
	"(i) विज्ञान सहित 10+2 या इसके समकक्ष; (ii) महाविद्यालय में दो वर्ष का अनुभव; तथा (iii) मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत अथवा उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी;	पदोन्नति द्वारा– (i) कनिष्ठ लैक्चर सहायक के रूप में दो वर्ष का अनुभव; तथा (ii) विज्ञान सहित मैट्रिक;
		स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा– (i) विज्ञान सहित 10+2 या इसके समकक्ष; (ii) वरिष्ठ लैक्चर सहायक के रूप में दो वर्ष का अनुभव; तथा (iii) मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत अथवा उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी।";

VII. क्रम संख्या 14 के सामने, खाना 3 तथा 4 के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

	3	4
	" (i) विज्ञान सहित 10+2 या इसके समकक्ष; तथा (ii) महाविद्यालय में पांच वर्ष का अनुभव; (iii) संगीत में कनिष्ठ लैक्चर सहायक की दशा में अर्हता निम्नानुसार होगी:– निम्नलिखित से संगीत में स्नातक:–	पदोन्नति द्वारा– (i) विज्ञान सहित मैट्रिक अथवा इसके समकक्ष; (ii) प्रयोगशाला परिचर के रूप में पांच वर्ष का अनुभव; तथा

	(क) संगीत प्रयाग समिति, इलाहाबाद; (ख) भात खंड संगीत विश्वविद्यालय, लखनऊ अथवा माधव संगीत विश्वविद्यालय, ग्वालियर; (ग) गंधर्व महाविद्यालय मंडल, मुम्बई; (घ) पंजाब विश्वविद्यालय या कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय अथवा कोई अन्य विश्वविद्यालय जिस से हरियाणा में सरकारी महाविद्यालय सम्बद्ध है। (iv) संगीत में ट्यूनिंग का ज्ञान होना अनिवार्य है; तथा (v) मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत अथवा उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी;	(iii) संगीत में कनिष्ठ लैक्चर सहायक की स्थिति में अहर्ता निम्नानुसार होगी:– निम्नलिखित से संगीत में स्नातकः– (क) संगीत प्रयाग समिति, इलाहाबाद; (ख) भात खंड संगीत विश्वविद्यालय, लखनऊ अथवा माधव संगीत विश्वविद्यालय, ग्वालियर; (ग) गंधर्व महाविद्यालय मंडल, मुम्बई; (घ) पंजाब विश्वविद्यालय या कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय अथवा कोई अन्य विश्वविद्यालय जिस से हरियाणा में सरकारी महाविद्यालय सम्बद्ध है; तथा (iv) संगीत में ट्यूनिंग का ज्ञान होना अनिवार्य है।" ;

VIII. क्रम संख्या 15 के सामने, खाना 3 के नीचे, मद (i) में, "विज्ञान के साथ मैट्रिक अथवा इसके समान अथवा मिडल" शब्दों के स्थान पर, "विज्ञान सहित 10+2 या इसके समकक्ष" शब्द, अंक तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

IX. क्रम संख्या 17 के सामने, खाना 3 के नीचे, मद (i) में, "मैट्रिक अथवा इसके समान" शब्दों के स्थान पर, "10+2 या इसके समकक्ष" अंक, चिह्न तथा शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

X. क्रम संख्या 17क के सामने, खाना 3 तथा 4 के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

	3	4
	"(i) भौतिक, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान अथवा सामान्य विज्ञान सहित 10+2 या इसके समकक्ष; तथा (ii) मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत अथवा उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी;	पदोन्नति द्वारा– (i) मैट्रिक अथवा इसके समकक्ष; (ii) ग्रुप घ कर्मचारी के रूप में पांच वर्ष का अनुभव; तथा (iii) मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत अथवा उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी;
		स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा– (i) भौतिक, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान अथवा सामान्य विज्ञान सहित 10+2 या इसके समकक्ष; (ii) प्रयोगशाला परिचर के रूप में दो वर्ष का अनुभव; तथा (iii) मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत अथवा उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी।"

XI. क्रम संख्या 18 के सामने, खाना 3 के नीचे, मद (i) में, "मैट्रिक अथवा विज्ञान के साथ मिडल" शब्दों के स्थान पर, "विज्ञान सहित 10+2 या इसके समकक्ष" शब्द, अंक तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

XII. "मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान" या "मिडल स्तर तक हिन्दी का ज्ञान" शब्द जहां कहीं भी आएं, के स्थान पर, "मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत अथवा उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

विनीत गर्ग,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
उच्चतर शिक्षा विभाग।